RCMS
2019/00101

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

कुन्दनलाल बनाम खिवणी आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 75 अपील संख्या 8 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसाारित पत्रांक एवं दिनांक
16.04.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा तहसीलदार पदमपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 11.01.2019 की प्रमाणित प्रति, नामांतरणकरण पंजिका की प्रमाणित प्रति पेश की है। नामांतरणकरण के कॉलम सं. 14 में यह अंकित है कि राजस्व अभियान वर्ष 78 दिनांक 30.12.78 तहसीलदार पदमपुर द्वारा चक 1 आर.बी. के मु.नं. 82 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करना आज्ञापक प्रावधान है इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट ने कथन किया कि उनके भरसक प्रयास के बाबजूद अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की जा सकती। चुंकि तहसीलदार पदमपुर द्वारा राजस्व अभियान में दिनांक 30.12.78 को रास्ता स्वीकृत किया गया है एवं अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 28.02.2019 को लगभग 40 वर्ष पश्चात पेश की गई है जिसके साथ अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं होने से एवं अपील लगभग 40 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत होने से अपील एडमिशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।	